

न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी- श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 09/2022

वादीगण

बनाम

प्रतिवादीगण

1. डालूराम पुत्र मोतीराम 2. सुरताराम पुत्र मोतीराम 3. दुर्गाराम पुत्र मोतीराम 4. सणगारीदेवी पत्नि मोतीराम जातियान जाट निवासी भलखाड़ी तहसील	1. आदुराम पुत्र जेठाराम 2. गोमाराम पुत्र जेठाराम 3. चौखाराम पुत्र जेठाराम 4. पनी पत्नि जेठाराम 5. पुरखाराम पुत्र जेठाराम 6. पारुदेवी पत्नि नारणाराम जाति जाट निवासी भलखाड़ीतहसील सिणधरी जिला बालोतरा 7. तहसीलदार सिणधरी
--	---

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति-

- 1 श्री बींजाराम गोदारा, अधिवक्ता वादी की ओर से उपस्थित।
2. प्रतिवादीगण 1 से 6 एकतरफा व प्रतिवादी सं. 7 के पैरोकार उप.।

निर्णय

दिनांक- 26.09.2024

संक्षिप्त में वादपत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं, कि मौजा- भलखाड़ी तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 29,92, 3, 5/1 रकबा क्रमशः 10.1772, 2.0872, 0.0243, 8.9961 हैक्टेयर भूमि के संबंध में प्रस्तुत वादपत्र दिनांक 11.01.2024 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार सिणधरी को मौके पर पक्षकारान का कब्जा काश्त अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्ड विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था।

तहसीलदार सिणधरी द्वारा आदेश की पालना में न्यायालय द्वारा पारित माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार तहसील सिणधरी में अवस्थित भूमि के मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। जिसे वादीगण अधिवक्ता की ओर से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार भी किया गया।

लिहाजा वादीगण का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर मौजा- सरेली की ढाणी पटवार मण्डल उण्डाली के खसरा संख्या 29,92, 3, 5/1 रकबा क्रमशः 10.1772, 2.0872, 0.0243, 8.9961 हैक्टेयर के संबंध में विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

क्र. सं.	नाम खातेदार	ग्राम	खसरा नं.	रकबा हैक्टैयर	किस्म	लगान	बरंग
1	डादुराम पुत्र मोतीराम 4/15 दुर्गाराम पुत्र मोतीराम 4/15 सुरताराम पुत्र मोतीराम 4/15 सणगारी पत्नी मोतीराम 1/5 जाति जाट सा. देह खातेदार	भलखाड़ी	29 92	9.5988 1.0436	बा.सो. बा.दो.	0.58 0.15	हरा
2	आदुराम पुत्र जेठाराम 1/6 गोमाराम पुत्र जेठाराम 1/6 चौखाराम पुत्र जेठाराम 1/6 पुरखाराम पुत्र जेठाराम 1/6 पनीदेवी पत्नी जेठाराम 1/6 पनी देवी पत्नी गोमाराम 1/12 मंगाराम दत्तक पुत्र नारणाराम 1/12 जाति जाट सा. देह खातेदार	भलखाड़ी	3 5/1 29 92	0.0243 8.9961 0.5784 1.0436	गै.मु. दाणी बा.सो. बा.सा. बा.दो.	— 0.54 0.03 0.16	मुलादी

तहसीलदार सिणधरी को आदेशित किया जाता है, कि वह उपरोक्तानुसार नामांतरकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें, संलग्न नामांतरकरण की पुस्त पर तस्मीम अंकित करे, राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रूप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना -अपना वहन करें।

3
सहायक क्लर्क
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 26.09.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

3
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि)

दिनांक : 15/08/2024 06:55:41 PM


हमेर

तहसील : सिणधरी

भू. अ. नि. क्षेत्र : पांयला कला

पांयलाखुर्द

ग्राम : भलखाडी




खसरा संख्या : 29 क्षेत्रफल : 10.1772 Hectare खाता संख्या : 14 पुराना खाता संख्या : 142


भूमि किस्म [क्षेत्रफल लगान] : बा.सोयम [10.1772, 3.77]

- 1.) आदुराम पुत्र जेठाराम हिस्सा- 1/12 जाति- जाट सा. देह खातेदार
- 10.) सणगारीदेवी पत्नि मोतीराम हिस्सा- 1/10 जाति- जाट सा. देह खातेदार
- 11.) सुरताराम पुत्र मोतीराम हिस्सा- 2/15 जाति- जाट सा. देह खातेदार
- 2.) गोमाराम पुत्र जेठाराम हिस्सा- 1/12 जाति- जाट सा. देह खातेदार
- 3.) चौखाराम पुत्र जेठाराम हिस्सा- 1/12 जाति- जाट सा. देह खातेदार
- 4.) डालूराम पुत्र मोतीराम हिस्सा- 2/15 जाति- जाट सा. देह खातेदार
- 5.) दुर्गाराम पुत्र मोतीराम हिस्सा- 2/15 जाति- जाट सा. देह खातेदार
- 6.) पनी पत्नि जेठाराम हिस्सा- 1/12 जाति- जाट सा. देह खातेदार
- 7.) पनीदेवी पत्नि गोमाराम हिस्सा- 8869/212848 जाति- जाट सा. देह खातेदार
- 8.) पुरखाराम पुत्र जेठाराम हिस्सा- 1/12 जाति- जाट सा. देह खातेदार
- 9.) मगाराम दत्तक पुत्र नारणाराम हिस्सा- 26605/638544 जाति- जाट सा. देह खातेदार

Ex. 10074



दुर्गाराम - LT सादुराम



LT सणगारी

P- 35 क्रमांक 1894 पट दर्ज 20/08/24

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एंव सील

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी
26.09.2024

तहसील नर (भू.अ.)
सिणधरी

मोनेका जोखड
पटवारी (भू.अ.) पांयला खर्द
तह. सिणधरी

- नोट :-
1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
 2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
 3. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें। ULPIN no : null